how soon they would be cleared. (*Interruptions*) **

12.14 hrs.

RE. ATROCITIES ON HARIJANS

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कहा था, कर दिया है।

I have already allowed enough discussion on this subject. I cannot do any more justice to that. I appeal to the hon. Members and to the leaders.

मैंने सब को बुला लिया है, सब कुछ कर दिया है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

I appeal to the hon. Member of the Opposition and their leaders to maintain order.

अगर ऐसे ही चलना है तो कोई हर्ज नही है। और सुनने का तो अब सवाल ही नहीं उठता है। मैंने बहुत सुना है बल्कि मेरे पास सब का पैमाना बहुत बड़ा है। मैं बिल्कुल विचलित नही हूंगा। आपका यह हाउस है, किसी बाहर वाले का नहीं है, जिस तरीके से इच्छा हो, इसको चलायें। मैंने तो हर एक सब्जेक्ट पर इतनी डिस्कशन एलाऊ की है लेकिन उसके बाद भी आप लोग इस तरह करते हैं कि जब मैं खड़ा होता हूं तब भी आप बैठने की कोशिश नहीं करते हैं।

शैलानी जी ने कहा है कि मैं बिलकुल नहीं बैठूंगा।

He said it on the floor of the House.

अगर कोई आदमी इस तरीके से कहता है तो मैं अपने तरीके से किसी के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से या पक्षपात की भावना से नहीं चलूंगा, मैं कानून के हिसाब से चलना चाहता हूं। मुझे इस हाउस को चलाना है। अगर इस तरीके से आप पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं तो यह गलत बात है। यह हाउस किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है......

(व्यवधान) . . शैलानी जी, मैं आप से बात नहीं करना चाहता हूं।

On no grounds I am going to allow this. This is not the way to run the House.

शैलानी जी, आप में बहुत ज्यादा जोश हो सकता है . . . ठीक है, आप में ज्यादा जोश हो सकता है। मैं तो गरीब आदमी हूं मुझे तो इस हाउस को चलाना है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि किस तरीके से हमें इस हाउस को चलाना है। लीडर्स यदि चाहें तो मेरा कमरे में आकर मेरे साथ बैठ कर मीटिंग कर लें कि किस तरह से हाउस को चलाना है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : क्या आप ने कभी मीटिंग बुलाई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो रोज बुलाता हूं।

I always invite Members to come to my Chamber and discuss it with me. ....

(व्यवधान)

मैंने बिलकुल नहीं कहा, मैं कहूंगा -

I have brought it to the notice of the Government. Whatever has been said is on the record of the House.

जो कुछ है वह रिकार्ड में है। मैं चेलेन्ज करता हूं।

श्री रामविलास पासवान : आप देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं आप आ जांय, मैं दिखा दूंगा। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं।

I will show it to you. I have allowed enough.

शैलानी जी का नियम 377 में नोटिस हो चुका है। इस के बाद भी इस चीज को लेकर इस हाउस का टाइम खराब किया जाय, आप अपने साथियों को नहीं समझा सकते। इनको

**Not recorded.

तो परमात्मा भी नहीं समझा सकता हूँ ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के अन्तर्गत आप का प्वाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुन लीजिए । हमारी बात के ऊपर आप रूल पूछते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो रूल को मानता हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, 376 के तहत आप मेरी बात सुनिए ।

जब देश में कोई घटना होगी, तो उसके प्रतिनिधि लोक सभा में नहीं बोलेंगे तो . . .

अध्यक्ष महोदय : जो बात हो गई है, उसको दोबारा कह रहे हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप जनता के आदमी हैं, देश के आदमी हैं, देश ने लोक सभा बनाई है । आप से पहले भी लोक सभा चलती थी ।

अध्यक्ष महोदय : अब भी चलेगी ।

श्री मनीराम बागड़ी : हमारा और आप का कोई घरेलू झगड़ा नहीं है । मैं आपको नोटिस देता हूं लेकिन उसकी इत्तिला नहीं देते हैं कि मन्जूर हुआ है या नामन्जूर हुआ है । ऐसी हालत में क्या हम आप से इस बारे में हाउस में नहीं पूछेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :

I over-rule the point of order. Recendly, I must tell the hon. Member. . .

मैं सबको इत्तिला देता हूं । जो चीज डिस्कस हो चुकी है, उसको दोबारा डिस्कशन के लिए मैं एलाउ नहीं करूंगा । हरिजनों की हत्या पर डिस्कशन हो चुका है । . . . **(व्यवधान)** . . . आप ने मुझे जो किताब दी है, मैं उसी हिसाब से हाउस को चलाऊंगा. . . . .

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, नियम 197 के तहत मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । जिस में लिखा है -

"(1) A Member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement at a later hour or date".

MR. SPEAKER: I have already done that.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने 10 बजे के पहले गोहाना में जो हरिजन की हत्या हुई है, उसके सम्बन्ध में नोटिस दिया है और उसके पहले हजारी बाग में जो हरिजन की हत्या हुई थी, उसका नोटिस दिया था । आप बतलाइये - क्या यह विषय पब्लिक इम्पार्टेन्स का नहीं है ? यदि किसी हरिजन की हत्या पब्लिक इम्पोर्टेन्स का विषय नहीं है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन यदि आप मानते हैं कि यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला है, तो इसको लिया जाना चाहिए ।

MR. SPEAKER: I have done that.

श्री मनीराम बागड़ी : लोक चर्चा यहां पर चलेगी, ऐसे नहीं चलेगा ।

MR. SPEAKER: Now look here. 57 Notices have come. (*Interruptions*) Please sit down. I am replying to it. Why are you trying to defend? Nothing doing I am not going to allow any discussion on it. I have already allowed a discussion.

We have discussed the atrocities on Harijans not once but twice. (*Interruption*) I cannot allow it.

श्री रामविलास पासवान : हरिजनों की जो हत्यायें हुई हैं - क्यायह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला नहीं रहा ?

MR. SPEAKER: This has already been brought to the notice of the Government. It is not to be done like that. The House is not run like this Mr. Paswan, the House is not run like this My hon. friend, it is not run like this

श्री राम विलास पासवान : एक जगह नहीं दो-दो जगहों पर हत्यायें हुई हैं . . .

MR. SPEAKER: It has to be taken according to the rules. Now I overrule all that you said.

(*Interruption*)**

MR. SPEAKER: Nothing should be recorded without my permission.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Sir, I rise on a point of order.

MR. SPEAKER: Under what Rule? To which rule are you referring to?

SHRI K. MAYATHEVAR: Under Rules 373 and 374, we want orderly disposal of business of the House in all matters. All hon. Members are aware that we have arrued at length about the scheduled castes and scheduled tribes when we discussed the Report for 9 hours. We had argued every matter regarding astrocities on almost all the backward communities including the Scheduled Tribes.

My point No. 2 is that everyday they are creating the trouble. Therefore, I want the hon. Speaker to apply Rule Nos. 373 and 374.

MR. SPEAKER: I know. I uphold this point of order.

श्री रामविलास पासवान : आप पावर का इस्तेमाल कीजिये ।

MR. SPEAKER: I do not want to use those powers. I want to leave it to this discretion of this august House. I leave it to the Members whether they want to take it up or not. I will not give you that privilege.

Now we go on with the Legislative Business.

Mr. Ghani Khan Chaudhuri. Please introduce the Bill.

12.25 hrs.

INTER-STATE WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL*.

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI): I move for leave to introduce a Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act. 1956.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act, 1956."

The Motion was adopted.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Sir, I introduce the Bill.

RE. ATROCITIES ON HARIJANS—*Contd.*

SHRI CHANDRA PAL SHAILANI: (Hathras): Sir, I rise on a point of order under Rule 193. I read Rule 193:

"Any member desirous of raising discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Secretary-General specifying clearly and precisely the matter to be raised:

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating reasons for raising discussion on the matter in question:

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other Members."

मेरा निवेदन यह है कि अन्डर रूल 193 में मैंने कल नोटिस दिया था और उसमें

(**) Not recorded.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, Dated 27-3-80.